मिस वाद स0 88/2022

द0प्र0स0 की धारा 147

राज्य बनाम श्री मंगल सिंह लागुरी अन्य 05

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई बाद में टिप्पणी सहित
18/10/22	उक्त वाद की कार्रवाई पुरतीवासी के लगभग 40–50 परिवार वाले ग्रामीणों द्वारा आने–जाने हेतु रास्ता की मांग पर वाद प्रारम्भ की गई। 1. मंगल सिंह लागुरी, पे0– स्व0 पातोर लागुरी, 2. हरीश चन्द्र बानरा, पे0– श्री राम बानरा 3. मारकण्डे सुण्डी, पे0– स्व0 सिंगा सुण्डी, 4. डुबलीया पुरती, पे0 – केतरो पुरती, 5. सुरेन्द्र आल्डा, पे0– स्व0 दूर्गा चरण आल्डा, सा0– पी0डब्लू0डी0 पुरतीबासा 6. सोनाराम देवगम, पे0–अर्जुन सिंह देवगम सा0– दुम्बीसाई सभी थाना–मुफ्फसिल, जिला– प0 सिंहभूम चाईबासा के द्वारा मौजा– दुम्बीसाई खाता न0– 308, प्लॉट सा0– 259, भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम से खातियन में दर्ज है एवं प्लॉट के उत्तरी छोर पर खाली भूमि अवस्थित है। उपरोक्त के आलोक में धारा 147 द0प्र0स0 के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए 1. मंगल सिंह लागुरी, 2. हरीश चन्द्र बानरा 3. मारकण्डे सुण्डी, 4. डुबलीया पुरती, 5. सुरेन्द्र आल्डा, 6. सोनाराम देवगम, को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतू नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षीगण 1. मंगल सिंह लागुरी, 2. हरीश चन्द्र बानरा 3. मारकण्डे सुण्डी, 4. डुबलीया पुरती, 5. सुरेन्द्र आल्डा, 6. सोनाराम देवगम के द्वारा दिनांक–28.09.2022 को अपना कारण पृच्छा दाखिल किया गया। विपक्षीगण का कथन है कि उक्त भूमि पथ प्रमण्डल कार्यालय चाईबासा परिसर के पीछे स्थित वार्ड सं0– 03 में है। जिसका खाता सं0– 308, प्लॉट सं0– 259, के उत्तरी छोर में है। उपरोक्त रास्ता से होकर ही पुरतीबासा के निवासी द्वारा पिछले 30–40 वर्षो से आने–जाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जिसका विरोध आज तक किसी व्यक्ति या विभाग के द्वारा नहीं किया गया है।	

Scanned with CamScanner

तत्कालीन उक्त रास्ते पर लोक निर्माण द्वारा चाहरदिवारी दी गई है तथा चाहरदिवारी के किनारे जगह खाली है। पुरतीवासा के लोगों को उक्त स्थान के अलावा आने–जाने के लिये आवागमन हेतु कोई दूसरा रास्ता विकल्प के तौर पर नहीं है। अतः विपक्षीगण द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक रास्ता का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।

अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा भी उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के क्रम में ज्ञात हुआ है कि उक्त रास्ता को कई वर्षों से आने–जाने हेतू पुरतीबासा के निवासी कर रहें थे। उपरोक्त रास्ते को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी कोई आपत्ति नहीं है।

दोनों पक्षों को सुनने एवं स्थल निरीक्षण के पश्चात् अद्योहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि विपक्षीगण को आवागमन हेतु 03 फीट का रास्ता उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। अतः सी0आर0पी0सी0 की धारा 147 का उपयोग करते हुये लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया जाता है कि 03 फीट का रास्ता विपक्षीगण को मुहैया करवाया जाय।

अतः विपक्षीगण के विरूद्ध द0प्र0स0 की धारा 147 की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

16.10.22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
सदर चाईबासा।

ज्ञापांक 408 /न्या0, दिनांक 01/11/2022

प्रतिलिपि :– जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, प0सिंहभूम, चाईबासा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल चाईबासा को सूचनार्थ एवं उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री मंगल सिंह लागुरी एवं अन्य 05, सभी सा0 – पी0डब्लू0डी0 पुरतीबासा, थाना – मुफ्फसिल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

Digitally signed by SHASHINDRA BARAIK
Date: 2023.01.20 14:17:05 +05:30
Location: 192.168.29.68

Scanned with CamScanner